13-8-24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित व अप्रार्थी सं 2 अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज आदेश सुनाए जाने हेतु पेश हुई। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज व तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष अधिवक्तामों की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु कृषि उपकरण ले जाने बाबत अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजस्व विभाग के राजस्व ग्रुप-6 के परिपत्र दिनांक 14-6-13 के 251(क) के प्रावधान अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर लाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 10/2024

दायरा दिनांक 22.02.2024

पीठासीन अधिकारी

कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

हरफूल उर्फ रामफूल पुत्र जसकरण जाती मीना निवासी ग्राम नयागांव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, हाल निवासी 29 जनकपुरी कॉलोनी गुप्तेश्वर रोड, दौसा, राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1. धोलूराम पुत्र जसकरण जाति मीना निवासी ग्राम नयागांव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. श्री अब्दुल सत्तार – अधिवक्ता प्रार्थी
   एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना
2. श्री राधेश्याम मीना – अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1

निर्णय

दिनांकः–13.08.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त सह खातेदारी कृषि भूमि ख.स. 107 रकबा 0.15हैक्टर, ख.सं. 108 रकबा 2.47हैक्टर, ख.सं. 109 रकबा 0.60हैक्टर कुल खसरा किता 3 योग रकबा 3.22हैक्टर वाके ग्राम नयागांव पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी व सहखातेदार ने आपसी सहमती से 25 वर्ष पहले ही उक्त आराजी का बंटवारा कर लिया था व आराजी में अपने अपने हिस्से अनुसार कच्ची डोली व तारबन्दी कर रखी है। उक्त बंटवारे अनुसार प्रार्थी के हिस्से में खसरा संख्या 107 रकबा 0.15है0,

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

खसरा संख्या 109 रकबा 0.60है0, खसरा सं 108 रकबा 2.47है0 का दक्षिणी भाग जो खसरा सं 109 व 107 से सटा हुआ है में से लगती हुई कृषि भूमि रकबा 1.61 है कुल भूमि 1.61 है0 भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में है जिसे प्रार्थी अनवरत रूप से बिना किसी विवाद के काम में लेता आ रहा है। उक्त कृषि भूमि सुमेरगजमण्डी से टोकरापुरा होते हुए कामल्या जाने वाली ग्रामीण सड़क के सहारे लगभग 500 मीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है, प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से अपनी खातेदरी की भूमि पर जाने के लिए खसरा सं 102, 103 के दक्षिण कोने से खसरा सं 113 गै0मु0चाह की गूणी के उत्तर की तरफ वाले हिस्से में होते हुए खसरा संख्या 112, 111, 110 के उत्तर की तरफ वाले हिस्से में होते हुए खसरा संख्या 109 के पूर्वी हिस्से में होकर प्रवेश कर अपनी खातेदारी भूमि में पहुंचता रहा है। उक्त रास्ते के खसरा संख्यान के सभी खातेदारों ने उक्त पूर्ण सहमती से निर्विवाद रूप से 15फिट का रास्ता छोड़ रखा है जो मौके पर बना हुआ है। अप्रार्थी सं 1 के आलावा किसी भी खातेदार ने आजरोज तक किसी प्रकार का कोई रास्ता अवरोध उत्पन्न नहीं किया इसी रास्ते पर होकर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से कृषि उपकरण व अन्य साधन लाता ले जाता रहा है। दिनांक 08.02.2024को प्रार्थी जब अपने खेत पर अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था तो अप्रार्थी सं 1 ने उसे खसरा संख्या 110 में से आगे जाने से रोक दिया व चीरे गाढ़कर तारबन्दी करते हुए बन्द कर दिया जिसका उसको कोई हक व अधिकार नहीं है। यही कारण है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी के खेत में फसल खड़ी है और उसके कटाई का समय है फसल कटाई नहीं की गई तो प्रार्थी अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह सम्भव नहीं होगी। अन्त में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजी पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 110 के उत्तरी कोने से 15फीट चौडा रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जावे अन्यथा प्रार्थी अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जावेगा। प्रार्थी नियमानुसार राशी अदा करने को तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 से रिकॉर्ड व मौके की रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 तरफ से जर्ये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी अपनी सहखातेदारी कृषि भूमि के सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, अप्रार्थी खसरा संख्या 110 का टिनेन्ट खातेदार है एवं कब्जा काश्त है। अप्रार्थी के कृषि भूमि पर प्रार्थी का कभी भी रास्ता नहीं रहा है न वर्तमान नक्शा ट्रेस में तथा सेटलमेंट से पहले कभी रास्ता उक्त भूमि में से रहा है। प्रार्थी जबरदस्त दादागिरी के बल पर अप्रार्थी की भूमि से रास्ता निकालना चाहता है जबकि प्रार्थी को किसी भी प्रकार का हक व अधिकर नहीं है क्योंकि अप्रार्थी खातेदार ने उक्त जगह कृषि बोरिंग लगा रखा है व रहने के लिए मकान बना रखा है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने का रास्ता अन्य जगह से है प्रार्थी गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का

उपखण्ड अधिकारी
केशोरायपाटन (बूंदी)

अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं तथा सिविल कोर्ट को है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार इन्द्रगढ़ से रिकॉर्ड एवं मौके की रिपोर्ट ली गई जिसका अवलोकन करने पर मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के वर्तमान में प्रार्थी के खसरा नम्बरान पर आने–जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताया। प्रार्थी की कृषि भूमि पर जाने हेतु खसरा संख्या 112, 113, 102, 103 पर रास्ता मौके पर भौतिक रूप से वर्तमान में चालु है किन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। खसरा संख्या 110 में से जो रास्ता प्रस्तावित किया गया था उसमें खातेदारी अप्रार्थी ने मौके पर बोर बना दिया गया है इसलिए वादी की सहमती से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया है। अब रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकन अनुसार खसरा संख्या 110 के उत्तर पूर्व के कोने मे होते हुए उसकी उत्तरी मेड के सहारे खसरा संख्या 106 के दक्षिणी मेड के सहारे से होता हुआ प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 107 तक दिया जा सकता है इसके अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होना जाहिर किया।

उभयपक्ष विद्धान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं दोहराव करते हुए कथन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 102, 103, 113, 112, 111 के सभी खातेदारों ने पूर्ण सहमती से निर्विवाद रूप से रास्ता छोड रखा है जो वर्तमान में चालु अवस्था में है जो तहसीलदार इन्द्रगढ़ की मौका रिपोर्ट से भी जाहिर होता है। अप्रार्थी सं 1 ने दिनांक 22.05.2024 को माननीय न्ययालय के नोटिस प्राप्ती के पश्चात् प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध करने की नियत से खसरा संख्या 110 में से गुजरने वाले रास्ते के हिस्से में ट्यूबवेल की खुदाई कर दी अप्रार्थी रोकने के लिए प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पत्रावली में अन्तर्गत धारा 151 आदेश 39 नियम 1 व 2 का पेश किया था। प्रार्थी अप्रार्थी का सगा भाई होने से किसी भी तरह का द्वेश नहीं रखता इसलिए प्रार्थी ने खसरा संख्या 110 में से आसान व पर्याप्त जगह नहीं होने से खसरा संख्या 106 में से भी रास्ता लेना स्वीकार लिया जबकि उक्त रास्ते से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई लगभग 4 मीटर बढ़ गई। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली खसरा संख्या 106 का राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं 1 का हिस्सा 1/2 व रामप्रसाद पुत्र प्रहलाद का हिस्सा 1/2 अंकित है। अप्रार्थी सं 1 ने उक्त जमीन रामप्रसाद से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2023 से क्रय की है जिसकी सत्यापित प्रतिलिपी पेश है जिसमें स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ता का हिस्सा अप्रार्थी सं 1 के कब्जे काश्त में है उसका सहखातेदार रामप्रसाद पुत्र प्रहलाद से कोई लेना देना नहीं है। अतः प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी पर जाने हेतु खसरा संख्या 110 व 106 से मुताबिक प्रस्तुत मौका रिपोर्ट रास्ता दिलवाया जावे एवं उसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे प्रार्थी नियमानुसार डी.एल.सी रेट से अप्रार्थी को भुगतान करने के लिए तैयार है। रास्ता नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी की भूमि पड़त रह जायेगी जिस कारण मुझ प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी पर जाने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। अप्रार्थी सं 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है वह सही नहीं है क्योंकि वह रिपोर्ट मौके पर जाकर नहीं बनायी गई जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने का रास्ता अन्य जगह से है प्रार्थी गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं तथा सिविल कोर्ट को है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के अभिवचनों को ध्यान में रखते हुए एवं पत्रावली रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के अनुसार रास्ता या पहुंच मार्ग एक आवश्यक सुखाधिकार है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानो के अन्तर्गत खातेदार द्वारा अन्य खातेदारों की जोत से पहुंच मार्ग नियमानुसार दिये जाने के प्रावधानों के अनुसार रास्ते का विकल्प नहीं होने की स्थिति में नया पहुंच मार्ग दिया जा सकता है। प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार प्रार्थी की सहखातेदारी कृषि भूमि ख.स. 107 रकबा 0.15हैक्टर, ख.सं. 108 रकबा 2.47हैक्टर, ख.सं. 109 रकबा 0.60हैक्टर कुल खसरा किता 3 योग रकबा 3.22हैक्टर वाके ग्राम नयागांव पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में अन्य कोई पहुंच मार्ग का विकल्प नहीं होने का तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से अवगत कराया गया है साथ ही निकटतम दूरी का रास्ते का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिती को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 102, 103, 113, 112, 111 के सभी खातेदारों ने पूर्ण सहमती से निर्विवाद रूप से रास्ता छोडा होने व वर्तमान में चालु अवस्था में होने से उनके विरूद्ध कोई राहत नहीं चाही गयी है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोट अनुसार प्रार्थी को अपने खातेदारी आराजी वाके ग्राम नयागांव पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ के खसरा संख्या 107,108,109 पर जाने हेतु खसरा संख्या 110 व 106 में से मुताबिक रिपोर्ट प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 110 के उत्तर पूर्व के कोने मे होते हुए उसकी उत्तरी मेड के सहारे खसरा संख्या 106 के दक्षिणी मेड के सहारे होता हुआ हुआ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 107 तक प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार 4 मीटर की चौडाई में होगा। उक्त प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्यायी से दर्शाया गया है जो निर्णय का भाग रहेगा। उक्त प्रस्तावित रास्ते में आने वाली वाके ग्राम नयागांव की कृषिभूमि खसरा संख्या 110 का अवाप्त रकबा 0.0016है0 एवं खसरा संख्या 106 का अवाप्त रकबा 0.0192है0 कुल किता 2 कुल प्रभावित रकबा 0.0208है0 की आवश्यकता होगी। उक्त प्रभावित रकबे का डी0एल0सी0 दर से दुगना प्रतिकर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिगण को अदा करने पर रास्ता 4 मीटर की चौडाई में बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

। तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक रास्ते में अवाप्त की जाने वाली कृषि भूमि का रकबा एवं वर्तमान डी0एल0सी0 से उपरोक्त गणना करने पर अप्रार्थी सं 1 धोलूराम उर्फ धोलिया पुत्र जसकरण जाति मीना को खसरा सं 110 की प्रतिकर राशि 2170रुपये एवं खसरा संख्या 106 में वर्तमान जमाबंदी में अंकित 1/2 हिस्से अनुसार प्रतिकर 13014रुपये कुल प्रतिकर राशि 15184रुपये एवं खसरा संख्या 106 के जमाबंदी में अंकित 1/2 हिस्से अनुसार सहखातेदार रामप्रसाद पुत्र प्रहलाद जाति मीना की प्रतिकर राशी 13014रुपये इस प्रकार कुल प्रतिकर राशि 28,198 रुपये प्रार्थी द्वारा जर्ये डी0डी0 तहसीलदार इन्द्रगढ़ के समक्ष अप्रार्थिगण को अदा करने पर तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा रास्ते के उपयोग में ली गई कृषि भूमि का रकबा मूल खसरों से कम करते हुए रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि का राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में पृथक से अभिलिखित कर रास्ता बहाल किया जावे उक्त भूमि का उपयोग सार्वजनिक होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13–08–2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)